उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1
संख्याः 1335 /XXVIII–1/01(12)2022
देहरादूनः दिनांकः 30 अगस्त, 2024

कार्यालय ज्ञाप
संशोधन

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 तथा सैरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 के कियान्वयन/अनुश्रवण हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–450/XXVIII–1/2023/1(12)/2022, दिनांक 11 अप्रैल 2023 के द्वारा नामित नोडल अधिकारी के दायित्वों में परिवर्तन के कम में कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11 अप्रैल 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त नोडल अधिकारी का पद नाम डा0 सुनीता चुफाल, प्रभारी अधिकारी, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, चन्दर नगर देहरादून किया जाता है।

3. सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 तथा सैरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 के कियान्वयन एवं अनुश्रवण कार्य में सहायता प्रदान किये जाने हेतु डा0 अमलेश कुमार, सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (परिवार कल्याण) को भी अतिरिक्त रुप से अपने दायित्वों के निर्वहन के साथ–साथ इस दायित्व के निर्वहन हेतु नामित किया जाता है।

4. कार्यालय ज्ञाप संख्या–450/XXVIII–1/2023/1(12)/2022, दिनांक 11 अप्रैल 2023 की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

(डा0 आर. राजेश कुमार)
सचिव।

संख्याः 1335 (1)/XXVIII–1/01(12)2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. डा0 सुनीता चुफाल, प्रभारी अधिकारी, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, चन्दर नगर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 (25.12.2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित) तथा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 के कियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. डा0 अमलेश कुमार, सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (परिवार कल्याण) को इस आशय से प्रेषित कि सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 तथा सैरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 के कियान्वयन एवं अनुश्रवण कार्य में सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करें।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।